प्रेपक

डा० रणबीर सिंह , सिंचव , उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

- समस्त प्रमुख सचिव एवं सचिव , उत्तरांचल शासन।
- समस्त विभागाध्यक्ष , उत्तरांचल।
- समस्त जिलाधिकारी । उत्तरांचल ।

वन एवं पर्यावरण विमाग

देसरावृतः विगंकः सितम्बर ६० २०१५

विषय:— वन भूमि पर दी गई लीज़ों के नवीनीकरण तथा नई लीज़ों की स्वीकृति हेतु नीति एवं तन मूं का मूल्य (प्रीमियम)/वार्षिक लीज़ रेन्ट का निर्धारण।

महोदय,

चपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वन रांख्यण अधिनियम १७५६ कोने से पूर्व वन विमान द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु आरक्षित वन मूनि पर स्थाई/रोधेकालीन जा अस्थाई/ अल्पकालीन लीजें जीकृत की गई थीं। दीर्घकालीन लीजें राज्य अरकार द्वारा स्वी का जो जाती थीं व अल्पकालीन लीजें स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों एवं उद्देश्यों को वृष्टिगत रखते हुवे सम्यन्धित वन संरक्षकों द्वारा स्वीकृत की जाती थीं। वन संरक्षण अधिनियम, १००० लागू होने के उपरास्त कालातीत लीजों के नवीनीकरण एवं नई लीजों की स्वीकृति हेतु मारत सरकार पर्यावरण एवं नई नाजावर की पूर्वानुमित प्राप्त की जानी आवश्यक है।

- 2 वर्ष 1979 से पूर्व अविभाजित जल्तर प्रदेश में वन भूमि पर स्वीकृत लोजों के लिए प्रयोग जर्में अलग—अलग वरों से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जाता था व इन वर्ष में एकरूपता नहीं थी। हो रेन्ट की दरों में एकरूपता नहीं थी। हो रेन्ट की दरों में एकरूपता नहीं थी। हो रेन्ट की दरों में एकरूपता नाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या—8450/14—3—930/77 रिप्त व जुलाई, 1979 जारी किया गया, जिसमें उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि पर जीकृति हो जाने वाली लीजों के समस्त नामलों में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वर्तमान बाजार दर से बन मूचि व गूल्य (प्रीमियम) एवं प्रीमियम के बराबर धनराशि का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिये जान का प्राविधान है। उक्त शासनादेश में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार आदम्म में लीज़शासक को बन पूर्व का गूल्य व प्रत्येक 10 वर्ष में पुनः लीज़ रेन्ट के रूप में वन भूमि के मूल्य का मुगवान करना होते हैं।
- 3. पूर्व में चली आ रही व्यवस्था में विकास को गति देने एका छाटे लीजधारकों को सहत पहुंचान के उद्देश्य से शासन द्वारा गम्मीरतापूर्वक विचार करने के उपरान्त नई त्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। मारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 व अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त वन भूमि पर दी गई लीजों, के नवीनीकरण तथा नई लीजों व के स्वीकृति हेतु निम्नलिखित व्यवस्था होगी :--

- 3.1 लीजों का नगीनीकरण
- 3.1.1 पेयजल, सिंचाई, पूल, घराट, पंचायत घर, शास्ता एवं रक्षूल करों सानुदाविक एई लगामकी प्र प्रयोजनों हेतु दी गई लीज़ों का नवीनीकरण प्रत्येक प्रकरण में रूपये 5.00 वार्शिक स्मृत्य रेस्ट
- 3.1.2 कृषि एवं बागवानी प्रयोजनों हेतु दी गई कीजों का गर्धानीकरण निम्मानुस्तर किया जानेता ह
 - i. एक हैक्टेअर तक लैण्ड होस्डिंग के लिए का 15.00 प्रति नाली की दर से लाहिक में के रेन्ट लिया जायेगा?
 - ii. लीजबारक जिनके पास एक हेक्टेंबर से अधिक बन भूमि लीज पर है, उन्हों जिलाबिकार दारा सूचित वर्तमान बाजार पर का लीज अबधि/99 कवर्ष प्रोरेख मूल्य (प्रीमिक्षण) के रूक में एवं प्रीमियम घनराशि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रेन्ड सिया जायेंगा कर्नान

वन भूमि का मूल्य(प्रीमियम) = जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य x लीज सवि

99

- 3.1.3 घर, छप्पर, झोपड़ी, गोंशाला प्रयोजनों हेतु दी गई लीजों का नवीनीकरण विभ्नामुखार क्रियाः जायेगा :
 - i. लीज़पारक जिनके भारा एक नाली (वो सी दर्ग भीटर) तक वन भूगि क्षान गर्न है छनसे वन भूभि का मृत्य न लेकर केवल रूठ 2000 प्रति भाली को उर के कार्नेक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।
 - ii. लीजधारक जिनले पास एक नाली से अधिक वन मूनि कींज पर है. सकते जिलाधिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज अवधि / 99 रूपये प्रोरेटा पूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत वार्षिय लीज रेन लिए।
- 3.1.4 व्यवसायिक प्रयोजन हेतु दी गई लीजों के नहींनीकरण ऐसु जिलाबिकारी कहा सुधित वासन बाजार दर का लीज अवधि/99 रूपयें प्रोरेडा मूल्य (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीविवस प्रमराहि का पाँच प्रतिशत वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।
- 3.1.5 मन्दिर, आश्रम, धर्मशाला एवं कुटिया आदि प्रयोजनों के लिए दी गई लीज़ों का नहींनीकरण दम एवं पर्यावरण विभाग द्वारा गठित सन्वास्तरीय समिति द्वारा निम्नानुसार तीन श्रेणियाँ में धर्मीकृत करके किया जावेगा:
 - (i) किसी भी धर्मप्रन्थ में धार्णत स्थल या पुरातात्विक प्रमाणों से प्रमाणित स्थल का ऐतिहासिक साहशों से प्रमाणित स्थल, जिन्हें पूजा स्थल या उत्त पन्ध के श्रद्धां, विशेष स्थाल के ख्यां, विशेष स्थाल के ख्यां, विशेष स्थाल के ख्यां, विशेष स्थाल के किया जारेगा तथा ऐसे गामलों में धन भूगि पर दी गई लीजों का गढ़ीगीकरण नि.शूला दिन्या जारेगा।
 - (ii) जिन लीज्ञाएको द्वारा लीज् का व्यवसायिक उपयोग (गूर्ण एवं आंक्रिक) किया छ। एत है, उनसे जिलापिकारी द्वारा सूचित वर्तमान बाजार दर का लीज्ञ अवश्चि /99 रूपहे प्रोरेहा मूख (प्रीमियम) के रूप में एवं प्रीमियम धनराशि का एक प्रतिशत सार्पिक लीज् रेस्ट लिया आंग्रेस।

(ப்ப்) **उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य लोको**पयों भी मामलों में बन भूमि का मृत्य में लेकर कारत कर है। प्रति **नाली की दर से वार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।**

3.1.6 भारत संस्कार एवं राज्य संस्कार के पर्याकरण, बन, कृषि, शिक्षा, स्थान, मृदा एवं जान सुरक्षण औषभीय, चिकित्सा एवं अनुसंधान से जुड़े गैर याणिज्यिक संस्थानों को वन भूगि घर दी गई सीडिं का नयीनीकरण रूपया एक प्रति-एकड़ प्रार्थिक लीज़ रेन्ट की धर से किया जायेगा।

3.2 नई लीजें :

- 3.2.1 **मविष्य में सामु**रायिक एवं जनोपयोगी प्रयोजनों के अतिरिक्त वन गृति लीज पर महि ही जायेगी।
- 3.2.2 उत्तरांचल पैयजन संसाधनं विकास एवं निर्माण निगम तथा उत्तरांचल जर लखान को नाति पंचायती राज संस्थाओं को वन भूनि पर प्रश्लावित पैयजल एवं सारकता से संस्थित वारानाव के निर्माण हेतु वन भूमि निश्चलक लीज पर दी जायेगी।
- 3.2.3 राज्य सरकार के उपक्रमां / संस्थाओं द्वारा बन भूमि घर प्रस्तावित सड़कों एवं वैयह भार के निर्माण हेतु रूठ 5.00 प्रति प्रकरण की दर से धार्षिक लीज़ रेन्ट लिया जायेगा।
- 3.2.4 ग्राम पंचायतों एवं स्वयं सहायता समूहों द्वारा सामुदायिक जपयोग हेतु यन सूरि पर प्रस्तावित एक मेगावाट तक क्षमता की सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण हेतु सात है, एक प्रति प्रकरण की दर से वार्षिक लीज रेन्ट लिया जायेगा।
- 325 रिपरीकः प्रस्तर- 320 323 थ 524 वर्ष छोडका विश्वक विकासकारीको तहे वन क्रिक प्रस्ताविक नित्न लीको के लिए जिल्लाहिकारी हान स्ट्रीवेत काम्यान प्राप्तार वर का लिए अविचि/99 रूपये प्रोरेश मूज्य (प्रीमियन) के रूप में एवं प्रीपियम घनसायि का एक प्रतिशत वार्षिक लीज रन्ट लिया जायेगा :
 - जल विद्युत परियोजनाओं एवं विद्युत प्रत्येण खाइन्स के निर्माण हेतु।
 - ii) जलाधारित उद्योगों यथा-मिनरल बाटर प्लान्ट आदि की स्थापना हेतु ।
 - iii) वन मूर्नि पर पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु विधिन्न दिकासकलीओ के वन भूमि लीज पर दी जायेगी , जिस हेतु राज्य सरकार के पर्यटन से सम्बन्धन उपक्रमों संस्थाओं को वरीयता दी जायेगी।
 - iv) राज्य में वैकल्पिक ईंधन एवं कर्जा से सम्बन्धित सुविधाओं /संग्रज्ञों की स्वापन हैन एक एकड़ तक धन भूमि।
- 3.2.6 उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य समस्त प्रयोजन, जिनके लिए उत्तरांत्रत शासन द्वारा वन शूर्ण कर लीज़ दिया जाना उपयुक्त पाया जायेगा, उनमें शासनादेश संदया—6450/14-3-036/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 में शिल्लखित व्यवस्था के अनुसार जिलाजिकरी द्वारा विलिश्ति कर्णाव बाजार दर से वन भूमि का मृत्य (प्रीमियन) इवं प्रीमियम को 10 प्रतिशत वार्षिक लीक रूक सिया जायेगा।
- 3.3 उल्लंघन/अतिकमण के मामले :
- 3.3.1 लीजबारक जिनके द्वारा भू-उपयोग में परिवर्तन कर वन मूर्गि का उपयोग लीज क पृत्र प्रयोजन से इतर कार्यों हेतु किया जा रहा है अथवा लीज की शर्मों का उल्लंबन किया नक है.

3.3.2 जिन लीज्ञासको द्वारा वन मूनि पर अधिकनण किया गया है, ऐसे सामल प्रकारनों में बन सूनि पर हुये अधिकनण को खाली कराये धाने के स्थातना ही लीज नकीनीकरण का प्रकार मान्य सरकार को स्थीकृति प्रदान करने हेतु भेजा आयेगा।

3.3.3 सींचा घर दी गयी ऐसी धन मूनि जिसके जी आकारण द्वारा एम भूनि का स्थाय रामाना है है उनक किसी आन्य क्वारित को विकास सन्त वित्य गण है जानका किसी अन्यत्वे हैं जान स्थाय सबसेट/इस्तानकीरत किया गाम है तेनी जोकों है व्यक्ति हो को निकत के विभाग/पाजस्य विभाग प्रास्त हम भूमि को गान के बद्धान अपने काल है किया प्राप्त

3.4 विविध :

- 3.4.1 लींज नवीनीकरण के ऐसे प्रकरण, जिनमें शासनावेश संख्या 10450/14-3-900/70 हिन्स 2 जुलाई, 1979 में एल्सिस्टिस व्यवस्था के अमुसार लीजभारकों अप एक भूगि के मूल कर तींज रेस्ट की अनुशास कराई जा चुकी है ऐसे अनुशों का पुन निर्धाद / हात्व का कराई जा चुकी है ऐसे अनुशों का पुन निर्धाद / हात्व का कराई जा चुकी है
- शासनादेश संख्या 6450/14 3-930/77 दिनांक 2 जुलाई, 1979 एवं शासनादेश संख्या 666/14-2-600(51)/1999 दिनांक 19 जुलाई, 1990 स्थल सीमा का संवोधित केवल जायोगे।

*****F63 21

्रेस्ट रहातीर हिस्स् स्थित

संस्था - 156 /7-1-2005-500(826) / 2002 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रविता-

- सिवत, भारत सरकार, पर्यावरण एटं दन मंत्राहाय, पर्यावरण भवन, सीवजीवालावन महत्वेतन लोदी रोड, नई दिल्ली।
- 2. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), नारत सरकार, पर्धावरण एवं वन गञ्चलये अर्जीट लाजा जा लखनळ।
- सगरत अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मुख्य वन संरक्षक, जनास्कल।
- समस्त कः। संरक्षक एवं प्रभागीय चनाधिकारी स्वतासाम ।
- महालेखाकार, उक्तरांधल, देहराद्न।

(WARRE THE) SHEET HE

Calculations for Muck disposal Plan

Calculations for Muck disposar 2 and		Qty	Unit
S.N	Description 1. Secription 1. Secreption 1. S	175229.17	Cum
A.	Total quantity of muck generated after considering swelling factor of 16 %		Cum
B.	Muck to be used locally during construction as per submitted muck	140003.55	Cum
	disposal plan	26363.00	Cum
C.	Muck to be dumped		
D.	Muck to be dumped at 3 dumping sites	4400.00	Cum
E.	Muck to be used for filling works, construction & protection works at	17500.00	Cum
	Project Camp Building having area of 5000 m ² .	4463.00	Cum
F.	Balance Muck (C-D-E) to be disposed at Quarry site	The state of the s	
G.	Capacity of Quarry Site having size 50 m x 40 m considering 7.0 m height	14000.00	Cum

अधिशासी अभियन्ता (जानपद**-लजविप)** यूजेवीएन लिमिटेड धारचूला, पिथौरागढ़



यूजेवीएन लिमिटेड

UJVN Limited

(A Govr. of Uttarakhand Enterprise)

कार्यालच कप्यंत्री सच्चित, 'उपन्यतः' महारानी बात, जीवएमवाएसक एंत देहतदून-248 008 (उत्तरखण्ड) दूरमाच 0135-2769818, फैक्स ११३8-2781648 Office of the Company Secretary, "Uffwel" Maharani Sagh, Q.M.3. Road, Dehraden-248004 Phone 0136-2769919, Fax 0135-2761549 Pax 0135-2769819 Web rite: ultarakhandlalvtavul.com Empil: seculvniliulvni.com

ISO 9001:2008 Certified

CIN No. U40101UR2001SGC025866

No. 33 8 /UJVNL/CS/07/BM-78

Daie: 21 4 2-016

All Functional Directors/ED's/General Managers Gnt1(SHP) UJVN Limited.

Subject: Minutes of 78th Board Meeting

Please find enclosed herewith the Minutes of the 78th Board Meeting of UJVN Limited held on 18th March, 2016 for information, necessary action and records. Kindly forward an action taken report on these decisions within a span of 15 days and without waiting for the announcement of the date of next meeting.

You are also requested to arrange to send a copy of these minutes/extract of minutes to your sub-ordinate officers and departments in case they also need a copy of the same

Company Secretary &

Secretary Audit Committee

Encl: As above.

CC: Managing Director, UJVN Limited. "Ujjwat". Dehradun.

AU DAM (CHP) | EE(+) | EE(GC) | 100 CHP)

D.1

UJVNL/Rishikesh Dated 3310412016

वजीकृत कार्यालयः "पञ्जवल" ग्रामानी काप, जीवएमवएचव सेख, बेहरायून २४६ वटा (उत्तरपत्तमण्ड), यूपमाव ११३६-२७६३६०६, केवच ११७८ ४७१३५०० Read. Office: "Ujiwal" Maharani Bagh, G.M.S. Road. Dehradun-24800s (Uffarakhand) Phone 0135-2763809 Fax:0135-2

> अस्तर स्ट्रिययन्ता (जानपद-लजविप) वर्षे ्न शिमटेड चारवृहा, पिथीसगढ़

MINUTES OF THE 78th MEETING OF BOARD OF DIRECTORS OF UJVN LIMITED HELD ON 18.03.2016 AT "UJJWAL", MAHARANI BAGH, GMS ROAD, DEHRADUN.

The 78th meeting of Board of Directors was held on 18.03.2016 in which the following Directors were present:-

Present:

Dr. Umakant Panwar
Shri J. L. Bajaj
Shri C.M. Vasudev
Shri S. C. Sen
Shri B. S. P. Sinha
Shri Raj Kumar
Director
Director
Director

Shri S.N Verma Managing Director

Shri B.C.K. Mishra Director
Shri Sandeep Singhal Director
Dr. A.C. Joshi Director
Shri L.M. Verma Director

Leave of Absence:

Shri Rakesh Sharma Director Shri S. Ramaswami Director Dr. Bhupender Kaur Director

Special Invitee:

Shri S.S. Yadav Managing Director, UPCL & PTCUL

In Attendance:

Shri Arun Sabharwal Company Secretary

The meeting commenced with Dr. Umakant Panwar in the Chair.

It was informed to the Board that Mrs. Bhupender Kaur, who has been appointed as Woman Director on the Board, has not submitted Director Identification Number and other statutory information as yet despite personal meeting and reminders by post. Therefore, the statutory papers regarding the appointment of Woman Director could not be filed.

Agenda Item No. 78.01

To consider and approve the minutes of the 77th Board Meeting held on 17.12.2015.

The Board unanimously approved the minutes of 77th Board meeting held on 17-12-2015.

(Arun Sabharwal) Company Secretary (S.N Verma) Managing Director (Dr. Umakant Panwar) Chairman

यन्ता (जानपद**-लजविप)**

भूजवादन निवासक्त तरवृत्तः, पिथीसगढ़ Board sought some time to study the draft medical reimbursement rules and also directed to study the guidelines of Gov), of Uttarakhand.

Agenda Item Number 78.21 निगम के कार्मिक अधिकारी, वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी एवं उप मुख्य कार्मिक अधिकारी के नये पदों के सजन के संबंध में।

Deferred for consideration due to shortage of time

Agenda Item Number 78.22 सीनियर जियोलॉजिस्ट वेतनमान रू० 37400—67000 + ग्रेंड वेतन रू० 8700 / — (Prerevised Rs. 14300.18300) को निगम में सीधी भर्ती पर लिये जाने के संबंध में नियमावली.

After consideration the Board approved the policy as detalled in Board note for filling up the post of Sr. Geologist under direct recruitment.



Agenda Item Number 78.23

Administrative approval for Consultancy Services for "Detailed Design Engineering of Tankul SHP (12MW). Distr Pithoragarh" along with the approval of DPR

Shri S.C. Sen, Independent Director had pointed out that on the agenda his opinion has been wrongly quoted and needs correction.

After consideration, the <u>Board decided</u> to approve <u>DPR</u> and directed that no expenditure should be incurred till the land/environment clearance is obtained and detailed design and engineering should not be carried out at this stage.

Agenda Item Number 78.24
Proposal for approval of DPR of Guptkashi (2x 0.75 MW) SHP along with Investment and Funding Plan

It was directed that the agreement proposed to be entered into with the Panchayats should be brought in the next board meeting

Agenda item Number 78.25
Proposal for purchase of 0.024 hectare private land for Dunao SHP

Board discussed the proposal and after consideration, accorded the approval of payment of compensation to the land owners of 0.024 Hectare private land for Dunao SHP in Tehsli. Dhoomakot. District Pauri Garhwal amounting to Rs. 84.744 (Rupees Eighty four thousand seven hundred and forty four only). Board was of the view that purchase and acquisition of land are different in legal terms and should be used properly.

(Arun Sabharwal) Company Secretary

(S.N Vermo) Managing Drector Dr. Umakani Panwa() Chelman

्रिविदासी अभियन्ता (जानपद-लजिप) अवेवीएन लिमिटेड

शोरक्ला, पिथीसगढ़

10